सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

1250 तुलसीनगर पिन कोड - 462003
ई-मेल - dir.socialjustice@mp.gov.in

भोपाल दिनांक 22/09 /2022

क्रमांक/सा.सहा.-2/2022/ 1931

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय:- ''मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान'' अंतर्गत समग्र पोर्टल में शत प्रतिशत eKYC पूर्ण करने के बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन का पत्र क्रमांक/F-14-13/2020/41-2 दिनांक 09 सितम्बर, 2022

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ''मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान'' अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत eKYC पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 17/09/2022 से 31/10/2022 तक समग्र आई.डी. धारकों के eKYC समग्र पोर्टल पर MPOnline, CSC एवं LSK के माध्यम से कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है ।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त छ: पेंशन योजनाओं यथा इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एवं मानसिक/बहुविकलांगो को आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत लाभांवित पेंशन हितग्राहियों का शत-प्रतिशत eKYC पूर्ण कराये जाने का कष्ट करें।

21/9

(डॉ. ई. रमेश कुमार)
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/सा.सहा.-2/2022/ 1932

भोपाल दिनांक 22/09/2022

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited की ओर सूचनार्थ। कृपया समीक्षा हेतु रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. समस्त संभागीय आयुक्त नगरनिगम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ नगर पंचायत परिषद् मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त 21/9

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.